न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीणा ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या:- 45/2015
सी.एम.एस .संख्या:- 2015/00223

बनाम

प्रभू पुत्र जौरया
प्रहलाद पुत्र जौरया
कान्जी पुत्र जौरया
मूल्थी पुत्र जौरया
} जाति मीना निवासीयान जौरेता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान

....अपीलांट्स।

बनाम

रामफूल पुत्र लौहड्या
लच्छा पुत्र लौहड्या
लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

....रेस्पोडेन्ट्स।

उपस्थित:

1. श्री वी.पी. शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 27.02.2023

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 23/08 बउनवान रामफूल बनाम प्रभू वगैरह में पारित निर्णय व प्रा0 डिक्री दिनांक 09.02.2011 तथा निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 08.05.2013 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बाबत बंटवारा व स्था. नि. निषेधाज्ञा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा [illegible] इस आशय का पेश किया कि ग्राम जौरेता तहसील खसरा नंबर [illegible] खसरा नंबर 551 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 660 [illegible] खसरा नंबर 661

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क़बा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 705 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 773 क़बा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा वादी व प्रतिवादी 0 01 लगा 04 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् क़्या गया। मातहत अदालत ने दिनांक 09.02.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए हसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब करने के आदेश दिए। तहसीलदार सपोटरा ; पत्रांक एल.आर./2013/223 दिनांक 08.02.2013 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त होने के ाद दिनांक 08.05.2013 को फाईनल डिक्री जारी करते हुए बंटवारा स्कीम के मुताबिक टवारा कर दिया गया।

पील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत न्यायालय द्वारा वादी नंबर जो न्म से ही बहरा व गुंगा है। जो अपने हित की बात व अहित की बात मे किसी प्रकार ा अन्तर नही समझता है की और से पैरवी करने हेतू कोई वाद मित्र नियुक्त नही किया या। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल त्रावली कर लिये जाने के उपरांत भी अपीलांट संख्या 02 व 03 के विरुद्ध दिनांक).02.11 को निर्णय पारित करते समय एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया, ो विधि विरुद्ध है। आगे कथन किया कि तहसीलदार सपोटरा को मौका कमिश्नर ायुक्त किया गया था परन्तु तहसीलदार सपोटरा द्वारा मौके पर केवल पटवारी हल्का को ाने का आदेश दिया परन्तू पटवारी हल्का व तहसीलदार दोनो मे से कोई भी मौके पर ोई नही पहुंचा ना ही उभय पक्ष को विभाजन स्कीम तैयार करते समय कोई नोटिस ाया। ना ही उभय पक्ष की कोई सहमति ली गई। केवल वकील वादी को सहमति से ताबिक बटवारा स्कीम प्रकरण मे फाईनल डिक्री पारित कर भारी भूल की है। अतः पील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें।

त्रावली के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सशपथ पेश किया गया। र्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पीलांटस्/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हे बताया गया था कि पहले उभयपक्ष के ान होंगे उसके बाद ही निर्णय किया जावेगा जिसकी सूचना अधिवक्ता ने पीलांटस्/प्रतिवादीगण को देने की बात कही लेकितन अधिवक्ता द्वारा निर्णय व डिक्री बत् कोई सूचना नही दी गई। दिनांक 29.06.15 को लोक अदालत हेतू कैम्प लगा तब मफूल द्वारा नामान्तरकण बाबत् आवेदन करने पर अपीलांटगण को निर्णय की जानकारी ई। जानकारी होते ही मातहत अदालत के यहां दिनांक 07.07.15 को प्रार्थना पत्र नकल ा कर उसी दिन नकल प्राप्त की। अतः उक्त डिले को कण्डोन फरमाते हुये अपील इर मियाद शुमार फरमाई जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

लि प्राधिकारी
माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रभु जौरेड बनाम रामफूल जौरेड
अपील संख्या 45/15

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलान्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रुख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा अपीलान्ट्स संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली कर लिये जाने के उपरान्त भी अपीलांट संख्या 02 व 03 के विरुद्ध दिनांक 09.02.11 को निर्णय पारित करते समय एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने की भूल की है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में वादी नंबर 02 जो कि गूंगा बहरा होने से दिव्यांग व्यक्ति है, इसका हिस्सा भी पृथक नहीं किया गया। मातहत अदालत द्वारा अपीलांटस्/प्रतिवादीगण को बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। मातहत अदालत द्वारा किया गया फैसला कतई विधि विपरीत है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2063–2066 वाके ग्राम जौरेला पटवार क्षेत्र तहसील सपोटरा के अनुसार खसरा नंबर 80, 551, 660, 661, 705, 773 कुल किता 6 कुल रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा में प्रभु पुत्र जौरेया हिस्सा 1/4, लख्खा रामफूल पिसरान लोहड्या हिस्सा 1/2, प्रहलाद कन्ही नाबालिग पिसरान जौरेया परवरिश कर्ता माता मन्थी बेवा जौरेया हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] व रेस्पोन्डेन्टस् संयुक्त संपत्ति है जिसमें सभी पक्षकारान् [illegible] द्वारा पारित व निर्णय व डिक्री में रेस्पोन्डेन्ट/वादी [illegible] दिव्यांग

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व्यक्ति है यह एक तथ्यात्मक बिंदू है कि लच्छा दिव्यांग है अथवा नही ? रेस्पोडेन्ट वादी संख्या 02 को वाद मित्र उपलब्ध नही कराया गया, यह साक्ष्य से ही साबित होगा। जबकि दिव्यांग व्यक्ति को कानूनन वाद मित्र आवश्यक है। मातहत अदालत द्वारा पारित फाईनल डिक्री में लच्छा का हिस्सा अलग से कायम नही किया गया जबकि वह भी सहखातेदार है। द्वितीयः— बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व तहसीलदार सपोटरा द्वारा न तो पक्षकारन को मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए न ही स्वयं द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए। यह तहसीलदार के पत्र कमांक/एल.आर./2013/223 दिनांक 08.02.2013 से स्पष्ट है वरन पटवारी व भू अभिलेख द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर प्रति हस्ताक्षर कर दिए गए जो कि रा. का. अ. नियम (राजस्व मण्डल) 18—21 की पालना किए बगैर ही अदालत मातहत द्वारा जो अन्तिम डिक्री दिनांक 08.05.2013 पारित की है वह विधिक रूप से शून्य होने के कारण अपास्त योग्य है।

1. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मुकदमा नंबर 23/08 बउनवान रामफूल बनाम प्रभू वगैरह में पारित निर्णय व प्रा0 डिक्री दिनांक 09.02.11 तथा निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 08.05.2013 अपास्त किए जाते है। प्रकरण इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के वाद मित्र बाबत् तनकीयात कायम की जावें तथा उभयपक्षकारन को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए, रा. का. अ. नियम (राजस्व मण्डल) 18—21 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि अदालत मातहत में दिनांक 31.03.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

2. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 27.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 10/3/23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner